

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय-आदेश

निम्नांकित कार्मिक को निजी विदेश यात्रा पर जाने की अनुमति निम्नांकित शर्तों के अध्यधीन प्रदान की जाती है, जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

कार्मिक का विवरण:-

क्र. सं.	नाम कार्मिक मये पद	पदस्थापन स्थान	जन्मतिथि	विदेश यात्रा पर जाने का स्थान व अवधि
1.	धीरज रानी, वरिष्ठ अध्यापक (अंग्रेजी)	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय थान्देवाला, रायसिंहनगर, श्रीगंगानगर	22.07.1977	PATTAYA (THAILAND) दिनांक 25.07.2022 से 29.07.2022 (लूल-05 दिवस)

शर्तें :-

- कार्मिक सक्षम अधिकारी से अपना अवकाश स्वीकृत करवाये जाने के पश्चात ही विदेश यात्रा पर प्रस्थान करेंगे।
- कार्मिक विदेश में स्वीकृत अवधि से अधिक नहीं ठहरेंगे, अवकाश समाप्ति पश्चात् अपने कर्तव्य स्थान पर उपस्थिति प्रदान किया जाना सुनिश्चित करेंगे। स्वीकृत अवकाश अवधि के पश्चात् यदि कार्मिक अपने कर्तव्य स्थान पर अनुपस्थित रहता है तो उक्त कार्मिक को कर्तव्य से जानबुझकर अनुपस्थित रहा माना जावेगा एवं उसके विरुद्ध आर.एस.आर 1951 के नियम 86 के प्रावधानान्तर्गत कार्यवाही अमल में लायी जाकर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
- एक बार में स्वीकृत अवकाश में वृद्धि नहीं की जावेगी।
- विदेश से भिजवाया गया त्यागपत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा।
- सक्षम अधिकारी विदेश यात्रा हेतु अवकाश स्वीकृति से पूर्व निम्नांकित की पुष्टि अनिवार्य रूप से कर लेंगे :-
 - कार्मिक के अवकाश पर जाने से कार्यालय/संस्था का राजकीय कार्य/शिक्षण कार्य प्रभावित नहीं होगा।
 - कार्मिक द्वारा अपना कार्यभार एवं महत्वपूर्ण दस्तावेजों का हस्तांतरण पूर्ण रूप से कर दिया गया है।
 - कार्मिक के विरुद्ध तत्समय कोई विभागीय जांच/कार्यवाही प्रस्तावित अध्यवा विचाराधीन नहीं है।
 - कार्मिक के विरुद्ध तत्समय कोई न्यायिक प्रकरण लम्बित/विद्याराधीन नहीं है।
- विदेश यात्रा की अनुमति उक्त स्वीकृत अवकाश अवधि हेतु ही मान्य है।
- विदेश यात्रा पर प्रस्थान करने से पूर्व सम्बन्धित कार्यालय को विदेश प्रवास में ठहरने का पूर्ण पता मय मोबाइल नम्बर आदि सूचित करेंगे।
- विदेश यात्रा हेतु अध्यवा विदेश यात्रा के दौरान राज्य सरकार के माध्यम से कोई विदेशी विनिमय नहीं किया जावेगा एवं न ही राजकीय स्त्रोत से विदेशी मुद्रा उपलब्ध करवाई जाएगी।
- विदेश यात्रां के दौरान कार्मिक द्वारा किया गया किसी प्रकार का अध्ययन/व्यवसाय/नियोजन स्वीकार नहीं किया जावेगा।
- राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों की पूर्ण पालना की जावेगी।
- विदेश यात्रा के दौरान किसी राजकीय अभिलेख/सूझना की गोपनीयता भंग नहीं की जावेगी।

सत्यमव जयते

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक शिविर-मा/संस्था/एफ-3/13320/विदेश यात्रा/2022/वोल-1/ 44 दिनांक: 13/07/2022
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा), बीकानेर, बीकानेर।
2. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक, श्रीगंगानगर।
3. सिस्टम एनालिस्ट कम प्रोग्राम, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने बाबत।
4. प्रधानाधार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय थान्देवाला, रायसिंहनगर, श्रीगंगानगर को भेजकर लेख है कि शिक्षण व्यवस्था बाधित न हो इसकी विद्यालय स्तर पर व्यवस्था सुनिश्चित करे।
5. संबंधित कार्मिक।
6. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय—आदेश

निम्नांकित कार्मिक को निजी विदेश यात्रा पर जाने की अनुमति निम्नांकित शर्तों के अध्यधीन प्रदान की जाती है। जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

कार्मिक का विवरण:-

क्र. सं.	नाम कार्मिक मय पद	पदस्थापन स्थान	जन्मतिथि	विदेश यात्रा पर जाने का स्थान व अवधि
1	बसत कुमार वर्मा, शारीरिक शिक्षा अध्यापक	राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय पिचौलिया, पीसांगन, अजमेर	30.04.1968	PHUKET, BANGKOK, PATTAYA, KRABI (THAILAND) दिनांक 01.09.2022 से 30.09.2022 (लूल-30 दिवस)

शर्त :-

- कार्मिक राजमा अधिकारी से अपना अवकाश स्वीकृत करवाये जाने के पश्चात् ही विदेश यात्रा पर प्रस्थान करेंगे।
- कार्मिक विदेश में स्वीकृत अवधि से अधिक नहीं ठहरेंगे, अवकाश समाप्ति पश्चात् अपने कर्तव्य स्थान पर उपस्थिति प्रदान किया जाना सुनिश्चित करेंगे। स्वीकृत अवकाश अवधि के पश्चात् यदि कार्मिक अपने कर्तव्य स्थान पर अनुपस्थित रहता है तो उत्तर वार्षिक को कर्तव्य से जानबुझकर अनुपस्थित रहा माना जावेगा एवं उसके विरुद्ध आर.एस.आर 1951 के नियम 86 के प्रावधानान्तर्गत कार्यवाही अमल में लायी जाकर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
- एक बार में स्वीकृत अवकाश में वृद्धि नहीं की जावेगी।
- विदेश से भिजवाया गया त्यागपत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा।
- सक्षम अधिकारी विदेश यात्रा हेतु अवकाश स्वीकृति से पूर्व निम्नांकित की पुष्टि अनिवार्य रूप से कर लेवे :-
 - कार्मिक के अवकाश पर जाने से कार्यालय/संस्था का राजकीय कार्य/शिक्षण कार्य प्रभावित नहीं होगा।
 - कार्मिक द्वारा अपना कार्यभार एवं महत्वपूर्ण दस्तावेजों का हस्तांतरण पूर्ण रूप से कर दिया गया है।
 - कार्मिक के विरुद्ध तत्त्वाभ्यास कोई विभागीय जांच/कार्यवाही प्रस्तावित अथवा विद्याराधीन नहीं है।
 - कार्मिक के विरुद्ध तत्त्वाभ्यास कोई न्यायिक प्रकरण लम्बित/विद्याराधीन नहीं है।
- विदेश यात्रा की अनुमति उक्त स्वीकृत अवकाश अवधि हेतु ही मान्य है।
- विदेश यात्रा पर प्रस्थान करने से पूर्व सम्बन्धित कार्यालय को विदेश प्रवास में ठहरने का पूर्ण पता मय मोबाइल नम्बर आदि सूचित करेंगे।
- विदेश यात्रा हेतु अथवा विदेश यात्रा के दौरान राज्य सरकार के माध्यम से कोई विदेशी विनिमय नहीं किया जावेगा एवं न ही राजकीय स्त्रोत से विदेशी मुद्रा उपलब्ध करवाई जाएगी।
- विदेश यात्रा के दौरान कार्मिक द्वारा किया गया किसी प्रकार का अध्ययन/व्यवसाय/नियोजन स्वीकार नहीं किया जावेगा।
- राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों की पूर्ण पालना की जावेगी।
- विदेश यात्रा के दौरान किसी राजकीय अभिलेख/सूचना की सोपनीयता भंग नहीं की जावेगी।

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक: शिविर: मा/संस्था/एफ-3/13320/विदेश यात्रा/2022/वोल-1 | 45 दिनांक: 13/07/2022
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा), अजमेर संभाग, अजमेर।
2. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक/प्रारम्भिक, अजमेर
3. सिस्टम एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।
4. प्रधानाध्यापक, राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय पिचौलिया, पीसांगन, अजमेर को भेजकर लेख है कि शिक्षण व्यवस्था बाधित न हो इसकी विद्यालय स्तर पर व्यवस्था सुनिश्चित करे।
5. संबंधित कार्मिक।
6. रक्षित यात्रावली।

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)